छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
Phone No.- 0771-2972780, Fax No.- 2972782
E-mail- cgvyapam19@gmail.com Website- cgvyapam.choice.gov.in

परीक्षा निर्देश

उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य पात्रता परीक्षा SET-2019

1.	परीक्षा की तिथि	–	**08 सितंबर 2019, रविवार,**
2.	परीक्षा का समय :	–	
	Paper –I	–	**पूर्वान्ह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक**
	Paper –II	–	**पूर्वान्ह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक**
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	–	23.07.2019 (मंगलवार)
4.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि	–	13.08.2019 (मंगलवार), रात्रि 11:59 बजे तक
5.	परीक्षा केन्द्र : 05 संभागीय मुख्यालयों में	–	**अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रायपुर**
6.	परीक्षा शुल्क –	–	
	सामान्य वर्ग	–	350/–
	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	250/–
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन	–	200/–

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	कोड नंबर
1	अम्बिकापुर (सरगुजा)	11
2	बिलासपुर	13
3	दुर्ग	16
4	जगदलपुर (बस्तर)	17
5	रायपुर	25

टीप –

1. **ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा, अतः सावधानीपूर्वक प्रविष्टि करें एवं पूर्णरूप से प्रविष्टियों की जॉच पश्चात् ही सबमिट बटन को क्लिक करें ।**

2. **ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर) वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के छूट की पात्रता नहीं होगी।**

3. **उत्तरशीट (ओ.एम.आर.) में केवल लिंग (Gender), श्रेणी (Category), वर्ग (Class) एवं जन्मतिथि (Date of Birth) में की गई प्रविष्टियों को अंतिम मानते हुए मूल्यांकन किया जायेगा । अन्य प्रविष्टियॉ आवेदन पत्र के आधार पर ही मान्य होंगी । बाद में कोई भी त्रुटि सुधार का आवेदन मान्य नहीं होगा । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद व्यापम स्तर पर त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।**

4. **आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लें व जॉच करें कि आपके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियॉ सही हैं कि नहीं । अवश्य चेक करें कि आपके द्वारा सही विषय का चयन किया गया है ।**

5. **आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।**

ध्यान रहे –

1. **3.5 से.मी. चौड़ाई x 4.5 से.मी. लंबाई का फाटो, जिसका अधिकतम साइज 50 kb का एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, फोटो, हस्ताक्षर, नाम तथा अॅगूठा निशान इन चारों को एक ही पेपर पर निर्दिष्ट स्थान पर (मिले हुए फार्मेट में) रखकर स्कैन (SCAN) कराकर JPEG फाईल के रूप में सेव (Save) करके रखें ।**

2. **शुल्क अदायगी के लिए बैंक का डेबिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड)/क्रेडिट कार्ड /इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होना आवश्यक होगा, अतः सम्बंधित पासवर्ड एवं अन्य जानकारी तैयार रखें ।**

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :– आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम देखें । केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय प्रवेश नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों। **मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है ।**

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :–

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के "Instructions to fill the FORM – SET19" लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है ।

3. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :–

परीक्षा के लगभग एक सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं । परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । काउंसलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा । एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

4. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :–

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे के बीच 0771–2972780 (कार्यालयीन समय) एवं मोबाइल नंबर 7470470609 (अवकाश के दिनों) में संपर्क कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :–

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के "Syllabus for- SET19" लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये।

परीक्षा समन्वयक केन्द्रों के नाम

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	फोन नंबर
1.	अम्बिकापुर	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774–230921
2.	बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर,	07752–246430
3.	दुर्ग	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा.,दुर्ग	0788–2211688
4.	जगदलपुर	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782–229340
5.	रायपुर	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771–2263131

6. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :–

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं–

(1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट स्पष्ट न हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें

(2) नीला/काला डाटपेन ।

(3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, वोटर आई डी, लेकर ही परीक्षा केन्द्र में जावें, जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके । **मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा ।**

नोट– अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाईल फोन आदि पाये जाते है तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

7. परीक्षा पद्धति :–

सेट की परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे । प्रश्न पत्र में केवल बहुउत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ।

प्रश्न पत्र	अंक	प्रश्नों की संख्या	समयावधि
I	100	50 प्रश्न – सभी अनिवार्य	1 Hours (10.00 A.M. to 11.00 A.M.)
II	200	100 प्रश्न – सभी अनिवार्य	2 Hours (11.30 A.M. to 1.30 P.M.)

Paper I- प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है । यह प्रश्न साधारण प्रकृति का है जिसमें अभ्यर्थी के शिक्षण एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति के ऑकलन के लिए तथा अभ्यर्थी की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षण के लिए प्रश्न पूछे जावेंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक निर्धारित होंगे ।

Paper II- इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम (पूर्व वर्ष में निर्धारित प्रश्न पत्र II एवं III हेतु पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित) पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जावेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिये 02 अंक निर्धारित है ।

(i) परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड –

This will comprise of the following :

"TOP 6% of the appearing candidates who appear in Paper I & Paper II both and secure at least 40% aggregate marks in both the papers taken together for candidates belonging to General Category and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved categories, viz. SC, ST, OBC (belonging to Non Creamy Layer) & PWD and Transgender will be declared qualified for Eligibility for Assistant Professor by following the reservation policy of the State Government.

It may be noted that the above qualifying criteria is final and binding."

(ii) ऐसे निःशक्तजन, जो अपने हाथ से लिख नहीं सकते, को लेखक की सहायता इसी प्रकार उपलब्ध करायी जा सकती है बशर्ते कि उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित अनुरोध किया गया हो एवं उन्हें प्रथम प्रश्न पत्र के लिये 20 मिनट तथा द्वितीय प्रश्न के लिये 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

8. Procedure and Criteria for declaration of result-

The following steps will be followed :

Step I : The number of candidates to be qualified (total slots or Eligibility for Assistant Professor) shall be equal to 6% of the candidates appeared in both the papers of NET.

Step II : The total slots shall be allocated to different categories as per the reservation policy of Chhattisgarh Government.

Step III : The number of candidates to be declared qualified in any subject for a particular category is derived as per the methodology illustrated below

Example :

Number of candidates to be declared qualified for Eligibility for Assistant Professor in the subject ‘Economics’ for the Scheduled Caste (SC) category.	Number of candidates belonging to SC category who secure at least 35% aggregate marks in both the papers taken together for SC category for ‘Economics’ (x) Total slots derived for SC category as per Step II (÷) Total number of candidates belonging to SC category over all subjects who secure at least 35% aggregate marks in both the papers taken together.

The aggregate percentage of the two papers corresponding to the number of slots arrived at, shall determine the qualifying cut-off for Eligibility for Assistant Professor ‘in Economics’ for the SC category.

Similar yardstick shall be employed for deriving the subject-wise qualifying cut-offs for all categories.

9. मूल्यांकन पद्धति :–

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे । उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर दो अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किए जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा

जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेंगे। ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जायेंगे।

10. **दावा/आपत्ति के निराकरण :–**

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है । यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ईमेल आई.डी. **cgvyapam.dawaapatti2019@gmail.com** से परीक्षा कोड SET19 लिखते हुए भेजा जा सकता है । प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा । एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा । कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग–अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा । बिना प्रमाण के दावा/आपत्ति अमान्य किया जावेगा । प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है । **व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।**

11. **त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–**

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं।

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रुप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

12. **पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :–**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा **उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है ।**

13. **क्षेत्राधिकार** (JURISDICTION) :–

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

....